ISSN: 2456–4397 RNI No.UPBIL/2016/68067 Vol-6* Issue-4* July- 2021
Anthology : The Research

भारत में चुनावः विसंगतियां और सुधार
Elections in India: Anomalies and Reforms

Paper Submission: 12/07/2021, Date of Acceptance: 25/07/2021, Date of Publication: 26/07/2021

हेमेन्द्र सिंह
असिस्टेंट प्रोफेसर,
राजनीति विज्ञान विभाग
रा0स्व0ग्रा0उ0पी0जी0 कालेज, पुखरायां,
कानपुर देहात, उत्तर प्रदेश, भारत

स्वतंत्रता के बाद से सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पर हमारी संसदीय प्रणाली ने सफल 7 दशक की यात्रा पूरी की है मतदान व्यवस्था लोकतांत्रिक संरचनाओं की बुनियाद रही है। लेकिन समय के साथ हमारी राजनीतिक संस्कृति एवं चुनाव प्रणाली में विकृतियां भी उत्पन्न हुई है। चुनावों में जाति और क्षेत्रवाद की भावना धनबल, अपराधीकरण भ्रष्टाचार, की प्रवृत्तियों ने हमारे लोकतांत्रिक प्राणी को कमजोर किया है।

अतः सफल स्वतंत्र पारदर्शी चुनाव के लिए जरूरी है कि इसमें सुधार के लिए व्यापक राजनीतिक पहल की जाए।

Since independence, our parliamentary system on the basis of universal suffrage has completed a successful 7-decade journey. Voting system has been the foundation of democratic structures. But over time, distortions have also arisen in our political culture and electoral system. The tendencies of money power, criminalizing corruption, feeling of caste and regionalism in elections have weakened our democratic being.

Therefore, for successful free and transparent elections, it is necessary that comprehensive political initiatives should be taken to improve it.

मुख्य शब्दः ADR, NOTA, psephology, Sveep, VVPAT, eVIGIL

प्रस्तावना

लोकतंत्र की सार्थकता एंव" जीवंतता के लिए चुनाव एवं मतदान अपरिहार्य हैं। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव लोकतंत्र का आधार है।

भारत में स्वतन्त्रता के बाद के वर्षों में शान्तिपूर्वक लोकतांत्रिक तरीक से सत्ता का जो हस्तान्तरण हुआ है उसका श्रेय निष्पक्ष निर्वाचन प्रणाली को जाता है निर्वाचन के प्रबन्ध हेतु भारत का निर्वाचन आयोग विश्व की सबसे बड़ी अधिकार सम्पन्न संवैधानिक संस्था है जो बखूबी निर्वाचन सम्बन्धी प्रशासनिक दायित्व को निभा रही है। दायित्व को निष्पादित करने के लिये स्वतंत्रता, निष्पक्षता, तथा व्यासायिकता के गुण, आयोग में जनता के पूर्ण विश्वास को सुनिश्चित करता है।

राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति तथा उसमें हो रहे बदलाव का संकेत निर्वाचनों के व्यवस्थित अध्ययन से मिल जाता है। वास्तव में प्रत्येक निर्वाचन सामाजिक परिवर्तन की वृहत प्रक्रिया का एक स्थिर चित्र होता है1 पिछले कुछ दर्शकों से हमारे संसदीय प्रणाली में निजी स्वार्थ वाले धन सेठों, अपराधी तथा भ्रष्ट लोगो की घुसपैठ हो गयी है। भारतीय निर्वाचकीय व्यवस्था 3D मुद्राबल (MONEY POWER) बाहुबल (MUSCLE POWER) तथा मंत्रालय बल (MINISTERIAL POWER) अर्थात मंत्रालयों की शक्ति के दुरूपयोंग की समस्या से ग्रस्त है।2

दलीय व्यवस्था में व्यापक परिवर्तन देखने को मिला है। दलबदल तथा क्षेत्रीय,जातीय,समुदायिक व धार्मिक ध्रुवीयकरण के द्वारा मत विभाजन का इस्तेमाल राजनीतिक दलो ने किया है। 1980 के बाद क्षेत्रीय दलों की संख्या में अभूतभूर्व वृद्धि देखने को मिली है। राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय दलो में गठजोड़ शुरू हुआ और 1989 के बाद बहुदलीय साझा सरकारों के आने के बाद यह प्रक्रिया तेजी से बढ़ी है। हाल के वर्षो में तो राजनीतिक अतिवाद, भाई भतीजावाद, दलो के प्रचार अभियान की शैली और मानसिकताने निर्वाचन पर गहरा प्रभाव डाला है।

अधूरी मतदाता सूची, कम मतदान, मध्यवर्ग की मतदान में कम रूचि, बढता चुनावी खर्च और चुनावी आचारसंहिता की अवहेलना ऐसी अन्य बुराइयां हैं जिससे भारत का चुनावी लोकतंत्र ग्रसित है।

अध्ययन का उद्देश्य

यद्यपि कतिपय वैधानिक सुधारों, तकनीक के प्रयोगों, चुनाव आयोग न्यायपालिका और नागरिक संगठनों की मुहिम से इन्हे पटरी पर लाने का प्रयास किया गया है फिर भी चुनाव सुधारों के लिए एक व्यापक राजनीतिक पहल की दरकार है। जिससे शत प्रतिशत मतदान तथा पूर्ण पारदर्शी चुनावी प्रक्रिया सुनिश्चित की जा सके।

भारत में 70 के दशक से राजनीतिक दलो में आपराधिक पृष्ठभूमि की शुरूआत के चलते राजनीति में धन व बाहुबल का उदय देखा जा सकता है। राजनीति एवं अपराध का गठजोड़, सत्ता हथियाने के लिए शुरू हुआ चुनाव परिणाम प्रभावित करने, बलपूर्वक सत्ता पाने की लालसा ने अपराधियों को राजनीतिज्ञों के करीब ला दिया। पहले वे किंग मेकर बने फिर वे सीधे मंच पर आ गयें। अपराधियों एवं माफियाओं द्वारा बूथ कैपचरिंग मत पेटियां लूटना, और हिंसक घटनायें की गईं। हर पार्टी बाहुबली को प्रत्याशी बनाने लगी इन्ही में से अपने नेता का चयन मतदाता की विवशता बन गयी।

इसके साथ ही प्रशासनिक भ्रष्टाचार के चलते आमजनता की यह सोच कि एक दबंग जनप्रतिनिधि अधिकारियों पर दबाव डालकर उनके काम आसानी से करा सकता है, वे चुने जाने लगे। अपराधिक प्रवत्ति का स्थायीकरण चुनाव जीतने के क्षमता के कारण बढ़ा है। कई जगह बाहुबली पहले निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में जीते बाद में राजनीतिक दल भी इन्हे टिकट देने लगे, जिसने पूरी राजनीतिक संस्कृति को दूषित किया है

भारतीय राजनीति के वीभत्स आपराधिक चरित्र के शुरूआत की पुष्टि, वोहरा समिति और श्री कृष्ण आयोग की रिपोर्टों से होती है। वोहरा समिति 1993 ने अपनी रिपोर्ट में अपराधियों नेताओं तथा नौकरशाहों के बीच गठजोड़ को दिखाया।

2014 के लोकसभा चुनाव में ए0डी0आर0 के आकड़े के अनुसार 542 विजेताओं में 185(34%) के विरूद्ध आपराधिक मामले दर्ज थे। इनमें से 112 पर हत्या, साम्प्रदायिक विद्वेष, अपरहरण, महिलाओं के विरूद्ध अपराध के गंभीर मामले थे चुनावों में एक आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार के विजयी होने की संभावना 13% थी जब कि एक स्वच्छ छवि वाले उम्मीदवार के मात्र 5%

जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8 दोषी राजनेताओं को चुनाव लड़ने से रोकती है लेकिन ऐसे नेता जिन पर केवल मुकदमा चल रहा है चुनाव लड़ने को स्वतंत्र हैं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन पर लगा आरोप कितना गम्भीर है। ए0डी0आर0, नेशनल इलेक्शन वॉच ने गम्भीर अपराधिक मामलों में लिप्त नेताओं के चुनाव में हिस्सा लेने पर प्रतिबन्ध लगाने की सिफारिश की थी।3

जनहित याचिका कर्ता व लोक प्रहरी भाजपा नेता अश्विनी उपाध्याय ने सुप्रीमकोर्ट में याचिका दायर की कि सजायाफ्ता नेताओं को चुनाव लड़ने से हमेशा से वंचित कर दिया जाय।

वर्ष 2002 में सर्वोच्च न्यायालय ने उम्मीदवारों के लिए शैक्षणिक योग्यता, आपराधिक मुकदमें और सम्पत्ति का ब्योरा देने के लिए निर्देश दिये, 2004 में विधि आयोग ने अपनी 170वीं रिपोर्ट में चुनाव कानूनों में सुधार के लिये उपाय सुझाये जिसमें आपराधिक मुकदमें चल रहे व्यक्तियों को चुनाव लड़ने से मना किया पर संसद की स्थायी समिति ने यह कहकर मना कर दिया कि जब तक उम्मीदवार अन्ततः दोषी साबित न हो जाएं, व दोषी नही माना जा सकता। 4

इसी तरह 2013 में सर्वोच्च न्यायालय ने जन प्रति अधिनियम की धारा 8(4) को गैर संवैधानिक घोषित कर दो वर्ष से अधिक की कैद पायें सांसदो व विधायको की सदस्यता तत्काल समाप्त करने का आदेश दिया। 2017 में सर्वोच्च न्यायालय ने केन्द्र सरकार को सांसदो और विधायकों के खिलाफ जारी आपराधिक मुकदमों की जल्द सुनवाई के लिए विशेष अदालतों के गठन का आदेश दिया। देखा जाये तो अपराधीकरण पर रोक लगाने हेतु संसद को कानूनो के माध्यम से शीघ्र कदम उठाने चाहिए जो वह स्वयं नहीं कर पर रही है।

न्यायालय भी यह सुनिश्चित करें कि त्वरित न्याय के माध्यम से मुकदमें को लम्बा न खींचा जाए।

पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त टी0एस0कृष्णमूर्ति कहते है कि सन 1998, 1999, 2004, 2006, 2013 में सरकार को अपराधीकरण रोकने के लिए सुझाव आयोग ने भेजे थे। आयोग का 1998 से ही यह स्टैंड रहा है कि गंभीर अपराधो में कोर्ट द्वारा चार्जशीट हो गये लोगों को चुनाव के अयोग्य घोषित किया जाये। केवल उन आरोपों पर संज्ञान न लिए जायं जो चुनाव घोषणा के 6 माह के अन्दर तय किये गये हैं। वे कहते हैं कि उम्मीदवारों और वोटरों को दण्डित करने तथा दलों पर जुर्माना लगाने व मान्यता रद्द करने के लिए आयोग को कानूनी शक्तियां मिलनी चाहिए।5

अपराधीकरण से अधिक धन ने निर्वाचनो पर अपना प्रभाव डाला है। चुनाव का खर्चीला हो जाना इस बात का खतरा पैदा करता है कि वे ही लोग चुनाव लड़ सकते है जो करोड़ो खर्च कर सकते हैं प्रश्न है कि ऐसा लोकतंत्र क्या सही मायने में प्रतिनिधिक होगा उम्मीदवार के चयन से लेकर चुनाव सम्पन्न कराने तक चुनाव कितना खर्चीला बनाना है तय हो जाता है। 2014 का लोकसभा चुनाव सबसे खर्चीला था करीब 3870 करोड़ रु0 खर्च हुये।

एक अनुमान के अनुसार 2019 के लोकसभा चुनाव का खर्च लगभग 70 हजार करोड़ होने जा रहा है प्रति सांसद चुनने का खर्च लगभग 129 करोड़ बैठता है 80 प्रतिशत प्रतिनिधि करोडपति है। धन, बल के अभाव में राजनीति की संभावना खत्म होती जा रही है।6

वर्तमान में बड़े राज्यों में प्रत्येक लोकसभा सीट के लिए चुनाव खर्च की सीमा 70 लाख और छोटे राज्यों के लिए 54 लाख है जो ऊंट के मुंह मे जीरे के समान लगता है।

1971 में इंदिरा सरकार के समय में कारपोरेट फंडिग के अलावा सरकारी सौदों के कमीशन को कांग्रेस के लिए इस्तेमाल किया गया, विपक्ष उस समय साधन विहीन था। बाद में वही तरीका ज्यादातर राजनीतिक दलों ने अपना लिया।7

राजनीतिक दलों द्वारा बाद के वर्षो में चंदे लेने की प्रक्रिया शुरू हुई और बढ़ती चली गयी, यह धन बेनामी स्त्रोतो से आया था, पारदर्शिता के अभाव में यह कालेधन से जुड गया। कारपोरेट चंदो तथा विदेशी बैंको में जमा कालाधन, चुनावों में प्रयोग होने लगा। पार्टियां कई अन्य स्त्रोतो से धन कमा रही हैं स्वैच्छिकदान,क्राउडफंडिग कूपन बेचना, सदस्यता अभियान के जरिये, पार्टी के इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाने के नाम पर, तथा प्रिंट डिजिटल टी0वी0 विज्ञापन के नाम पर आदि। इसी तरह चुनाव व्यय कि दृष्टि से "हेलीकाप्टर का प्रयोग, राजनीतिक विज्ञापनों से भरे चैनल, अखबार, होर्डिंग्स करोड़ो रूपये पाने वाली पी0 आर0 एजेन्सियां बढते खर्च के प्रमाण हैं" डॉ0 भरत झुनझुनवाला कहते है कि सांसदो को सांसद निधि से भी अप्रत्यक्ष अनुदान मिलता है। 5 वर्ष में 25 करोड़ के कार्य कराने की छूट है ये कार्य ठेकेदारों के माध्यम से कराकर कमीशन के रूप में जो रकम प्राप्त होती है वह चुनाव में प्रयुक्त होती है। 8

विधि आयोग ने अपनी रिपोर्ट में यह सिफारिश की थी कि यदि चंदा एक वर्ष के भीतर 20 हजार से अधिक होता है तो सम्बन्धित राजनीतिकदल को उसका नाम बताने के लिए कानूनी रूप से बाध्य किया जाये। तथा हर चुनाव के 75 दिनो के अन्दर चुनाव खर्च का विवरण दलों को जमा करने के लिए बाध्य किया जाए। दलों को प्राप्त होने वाले चंदों का बड़ा स्रोत अज्ञात है, विशेषकर कारपोरेट चंदे। नकद चंदों पर रोक लगाने की मांग होती रही है। दलो को टैक्स अथारिटी एवं चुनाव आयोग के प्रति अधिक जवाबदेह बनाने की जरूरत है। विगत वर्ष में आयोग ने छोटे या कम ताकत वाले दलों को कटघरे में खड़ा किया। 255 राजनीतिक दल फ़र्जी निकले हैं।

नेताओं के बहुत सारे एन0जी0ओं0 है जिनके जरिये वे सरकारी ठेके लेते हैं।बेनामी कम्पनियां,धर्माथ कल्याणकारी संस्थाये भी है, काली कमाई को सफेद दिखाने के लिए इन पर नियंत्रण जरूरी है। आय से अधिक सम्पत्ति के मामले में कुछ बड़े नामी गिरामी नेताओं को छोडकर शेष पंजीकृत नही हो पाते। जबकि आयकर अधिनियम की धारा 65 तथा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8(1) एम के तहत भ्रष्टाचार रोकने के प्रावधान हैं।9

नेताओं के लिए चुनाव खर्च का ब्योरा देना अनिवार्य है पर राजनीतिक दल को नहीं। दल अपने आय व्यय का जो ब्यौरा चुनाव आयोग को चार्टड आकउन्टेन्ट के माध्यम से देते हैं उसके आधार पर निर्वाचन आयोग को RTI पर सूचना देनी चाहिए। इससे भी ज्यादा जरूरी, दलों को RTI के दायरे मे लाना है। दलों ने सूचना आयोग के उस आदेश को मानने से इन्कार कर दिया था जिसमें उन्हे सूचना के अधिकार के अर्न्तगत सार्वजनिक संस्था घोषित किया गया था। पार्टियों ने अब तक जनसम्पर्क अधिकारी नियुक्त नहीं किया है और किसी भी प्रकार की जानकारी देनें से इन्कार करतीं हैं। दलों को आर0टी0आई के दायरें में लानें का मामला अभी सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है।

भारत में नोटबंदी के बाद कालेधन पर रोक लगाने के लिए 2017 में चुनावीं चंदें को पारदर्शी बनाने के लिए बैंक से चुनावी बांड खरीदने की व्यवस्था की गई। बांड में नाम गोपनीय रखने का प्रावधान इसलिए किया गया कि ताकि बड़े उद्यमी एवं कम्पनियों ने कितना चंदा दिया यह पता न चले। इसी संदर्भ में ए0डी0आर0 ने बताया कि 2018-2019 के बीच बांडो से अकेले भाजपा को बहुत बड़ी राशि मिली। कानूनन राजनीतिक दल 20000 रु0 से अधिक चंदे को ही सार्वजनिक करने के लिये बाध्य होते थे लिहाजा उनको मिले चन्दे में करीब 70प्रतिशत हिस्सा इस तय सीमा से कम चंदों का होता था चंदे के यही बेनामी स्त्रोंत हैं। पारदर्शिता के लिये यद्यपि नकद चंदे की राशि सीमा 20000 से घटाकर 2000 रूपये कर दी गयी है। पर कानून से बचने के लिए राजनीतिक दल दिखाते है कि उन्होने एक ही व्यक्ति से कई बार 2000 रूपये का चंदा लिया है। डी0यू0 में विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी में रिसर्च फेलो ललित पान्डा कहते है कि चंदे के रूप में बेनामी नकदी प्राप्त करने की कोई सीमा तय किये बिना यह प्रावधान बेमानी है।10

पूर्व चुनाव आयुक्त एस0वाई0 कुरैशी सलाह देते हैं कि " एक राष्ट्रीय चुनाव कोष का गठन किया जाए जिसमें लोग बिना किसी पार्टी को प्रमुखता देते हुए खुलकर चंदा दे पायेंगें इस फंड को सभी दलों के बीच उनके द्वारा प्राप्त किये गये वोटो के अनुपात में बांट दिया जाए। इससे चंदा देने वालो की निजता भी बरकरार रहेगी। जैसे ही दलों की सार्वजनिक फंडिग सुनिश्चित हो

जाय निजी चंदे को पूरी तरह प्रतिबंधित कर देना चाहिए।11

इसी तरह 1976 से ही किसी पार्टी को मिले विदेशी चंदे को जायज बना दिया गया जब कि मुख्य चुनाव आयुक्त ओ0पी0रावत कहते हैं कि चुनाव के लिए कोई विदेशी चंदा नही लिया जाना चाहिए।12

क्या स्टेट फंडिग इसका उपाय हो सकता है? जैसे दुनिया के तमाम देशों में व्यवस्था है। 1998 में गठित इंदजीत गुप्त समिति ने पंजीकृत दलों को स्टेट फंडिग के लिए सुझाव दिया था इसी तरह 1999 में विधि आयोग, 2001 में सविंधान समीक्षा समिति तथा 2008 में द्वितीय प्रशासनिक आयोग ने चुनाव में सरकारी अनुदान का समर्थन किया था। यूरोप के 86प्रतिशत देशों, अफ्रीका के 71प्रतिशत देशों, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका के 63प्रतिशत तथा एशिया के 58 प्रतिशत देशोंमें राजनीतिक दलों के लिए प्रत्यक्ष राज्य फंडिग की व्यवस्था है।13

पर व्यवहार में यह भी देखा गया है कि इसके बावजूद कई देशों में फिर भी खर्च कम नही हो रहे हैं अमेरिका जैसे देश उदाहरण हैं क्यो कि निजी चंदे पर निर्भरता कम नही हुई है।

भारतीय राजनीति में जातिवाद, साम्यदायिकता तथा नैतिक मूल्यों का क्षरण अन्य विसंगतियां हैं जो लोकतंत्र व चुनाव को प्रभावित करती है। जाति आधारित दलों का बनना, इसे जीतने का हथियार बनाना, उम्मीदवारों का चयन क्षेत्रवार जातियों के प्रतिशत आकड़ों से पहचान कर इन्हे वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करना प्रमुख है। वर्ष 2012 चुनाव आयोग ने अपने एक शोध में यह पाया कि लगभग 18प्रतिशत मतदाता अपना वोट जाति समुदाय या सप्रदाय से आधार परनिश्चित करतें है। इसी तरह साम्प्रदायिकता, धार्मिक कट्टरता के माध्यम से ध्रुवीकरण कर वोट प्राप्त करना लक्ष्य बन गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपनें एक फैसले में उम्मीदवारों द्वारा जाति धर्म के नाम पर वोट मांगने को अवैध घोषित किया। इन दोनो प्रवृत्तियों से देश की एकता की बुनियाद पर प्रहार हुआ है। नैतिक मूल्यों की गिरावट ने राजनीतिक संस्कृति को पतित किया है। चुनाव से जुड़े इन विसंगतियों के सुधार की मांग समय-समय पर की गई है।

चुनाव सुधार से जुड़े किये गये तकनीकी सुधारों में 1988 में संसद ने जनप्रति0अधि0 में संशोधन करके बैलेट पेपर की जगह EVM के प्रयोग की अनुमति दी। पहली बार 1982 में EVM का प्रयोग किया गया तब से इसके द्वारा ढ़ेरों चुनाव कराये गये हैं। हाल में विपक्षी दलो ने यह आरोप लगाया कि EVM के साफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग कोड में छेड़छाड़ कर सत्ताधारी दल धांधली कर रहा है । आयोग ने आरोपो को खारिज कर स्पष्ट किया है कि इसमें त्रिस्तरीय सुरक्षा प्रणाली लगी है तथा पार्टी एजेण्टो के सामने तीनों स्तरों की जांचकर इसे लगाया जाता है। आयोग ने डेमो के लिए टेक्नोक्रेट और इंजीनियरों आदि को आमन्त्रित करने की पेशकश की। 14

इसी शंका को दूर करने के लिए मई 2017 के बाद EVM में वी0वी0पैट (Voter Verified Paper Audit trail लगाया गया हैयह मशीन यह दिखाती है कि किसी मतदाता द्वारा दबाये गये बटन व पर्ची में साम्य है कि नही।

इसी तरह पश्चिमी देशों की भांति भारत में एक्जिट एवं ओपनियन पोल जैसे तकनीको का प्रयोग चुनावों केविश्लेषण के लिए किया जा रहा है। ओपिनियन पोल के तहत सर्वे कर निर्वाचकों से पूंछा जाता है कि वे अपना मत किसे देने का मन बना रहें है इसमें विशिष्ट सैम्पल का प्रयोग होता है जबकि एक्जिट पोल में जब मतदाता वोट डालकर निकलता है तब उससे पूछा जाता है कि उसने किसे वोट दिया । चुनाव से पहले प्रकाशित होने वाले ये ओपिनियन पोल जनता का ध्यान आकर्षित करते हैं इससे जनमत और लोगों के वोटिंग व्यवहार को प्रभावित किया जा सकता है। पेड न्यूज की भांति पैसे लेकर पोल में हेरफेर करके गलत आकड़े पेश करने की शिकायतें स्टिंग आपरेशन में मिलीं अतः ओपिनियन पोल को रोकने की मांग भी गई। इनकी उपयोगिता, मान्यता और वांछनीयता पर बहस हो रही है। सेफोलॉजी के समर्थक इसे वैज्ञानिक विश्लेषण कहते हैं। योगेन्द्र यादव कहते है कि भारत में सैंपल पद्धति कमजोर है इसके प्रोफाइल में सबका प्रतिनिधित्व नही हो पाता और सर्वेक्षण गलत हो जाते हैं15

यादव कहते हैं। " निर्वाचन आयोग को ओपनियन पोल के सम्बन्ध में आचार संहिता बनानी चाहिए तथा इसकी निगरानी के लिए एक नियामक संस्था का गठन करना चाहिए। अमेरिका ब्रिटेन यूरोप में इस सम्बन्ध में स्टैन्डर्ड प्रोटोकाल हैं।16 वैसे 2009 में जनप्र0 अधि0 1951 संशोधन करके ऐसा नियम बना दिया गया है जिसके तहत किसी भी चुनाव में अंतिम वोट जबतक नहीं डाल दिया जाता तबतक उसका एक्जिट पोल नही कराया या दिखाया जा सकता है। किसी चुनाव के पहले 48 घण्टे के भीतर ओपिनियन पोल पर भी पाबंदी है। निष्कर्ष में देखा जाए तो सेफोलोजी की तकनीक यदि पारदर्शी हो, तो उपयोगी है।

पारदर्शी मतदान के लिए उम्मीदवारों के संयमित आचरण के लिए 1960 में आदर्श चुनाव आचार संहिता अस्तित्व में आयी तब से अबतक हर चुनावों में इन्हे लागू किया किया जा रहा है। बूथ कैपचरिंग, भडकाऊ भाषण, जाति धर्म के नाम पर वोट की अपील उपहार भेंट आदि बांटना वर्जित है। वोटिंग करने के दौरान भी नियमावली है। पर अक्सर इनका उल्लंघन किया जाता रहा है। चुनाव के दौरान अव्यवस्था को रोकने के एक उपाय के विषय में रघु ठाकुर कहते हैं कि चुनाव घोषणा के बाद चुनाव अवधि तक के लिए दो-दो गाडियां चुनाव आयोग की तरफ से दौरे हेतु दियें जायें शेष वाहनो के प्रयोग पर प्रतिबन्ध लगे, चुनावी सभाओं के लिये मंच भी चुनाव आयोग के माध्यम से बने वहीं पर सभी दलों की सभाएं हों।17

निर्वाचन आयोग के पास आचार संहिता के उल्लंघन करने पर सजा या जुर्माना देने की शक्ति नही है अतः यह बेअसर हो जाती है। उल्लंघन पर दण्डनीय प्रावधान होने पर भी FIR के बाद कोर्ट मे मामला जाता है अंतिम चरण तक निर्णीत होने पर इसका प्रभाव खत्म हो जाता है। आचार संहिता को कानूनी रूप देने के लिए संसद में बिल पास करना जरूरी है आचार संहिता का पालन अभी तक स्वैच्छिक है।

वर्ष 2009 में चुनाव आयोग ने मतदाताओं के लिए नोटा (NOTA -None of the above) का विकल्प, मत पत्रों पर उपलब्ध कराने की मंशा की । पीपुल्सयूनियन फॉर सिविल लिवर्टीज ने अदालत मे जनहित याचिका दायर की, कोर्ट ने 2013 में आयोग को EVM में इस बटन को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। 2013 में कुछ राज्यों एवं 2014 के लोकसभा चुनाव में NOTA। का प्रयोग किया गया। नोटा का मुख्य लक्ष्य यह है कि राजनीतिक दल अच्छे उम्मीदवार चुनाव में उतारने को मजबूर हों। नोटा राजनीतिक स्वच्छता व शुचिता के लिए एक नेताविहीन राजनीतिक आंदोलन है18

यह भी कहा गया कि पहले लोग जब अपना मत किसी को नहीं देना चाहते थे तो मतदान करने के लिए नहीं निकलते थे अब प्रत्याशियों पर भरोसा उठ जाने के कारण विरोध में मतदान करने जाते हैं इसलिए नोटा जागरूक जिम्मेदार मतदाता बनाने मे कारगर हो सकता है।19 उल्लेखनीय है कि नोटा के कुल वोट यदि सभी उम्मीदवारों से ज्यादा भी हो जाए तो सर्वाधिक मत पाने वाला विजयी हो जाता था एक ऐतिहासिक कदम में आयोग ने 2018 में हरियाणा के नगर निगमों के चुनाव में यह कहा कि यदि किसी सीट पर नोटा जीता तो यहां सभी प्रत्याशी अयोग्य होंगें और पुनः चुनाव कराये जायेंगें। पूर्व मुख्यचुनाव आयुक्त टी0एस0कृष्णमूर्ति उन क्षेत्रो में पुनः निर्वाचन की बात करते हैं जहां जीत का अन्तर नोटा के मत की संख्या की तुलना में कम हो। पर देखा जाए तो भारत में यह खर्चीला होगा नोटा 'राइट टू रिजेक्ट' नही है, उपयोगिता की दृष्टि से इसकी उतनी कीमत नही है। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एस0वाई0 कुरैशी ने 'राइट टू रिजेक्ट' पर विचार करने की मंशा व्यक्त की।

भारत में कम मतदान भी एक समस्या रही है। मतदाताओं की मतदान केन्द्र पर उपस्थिति लगभग 55 से 60 प्रतिशत के बीच रहती है, 1968 में सर्वप्रथम चुनाव आयुक्त एस0पी0सेन वर्मा ने इस ओर ध्यान देकर सुझाव दिया कि मतदान को अनिवार्य कर दिया जाए। 20

मतदान के प्रति उदासीनता को खत्म करने के लिए कानूनीरूप से अनिवार्य वोटिंग का प्रावधान गुजरात विधानसभा ने पारित किया लेकिन राज्यपाल ने इसके दण्डात्मक स्वरूप पर आपत्ति कर इसे रोक दिया। मुख्य चुनाव आयुक्त नवीन चावला ने भी राष्ट्रीय स्तर पर इसे असंभव और गैर लोकतांत्रिक माना।

वर्ष 2010 में चुनाव आयोग में पृथक मतदाता प्रषिक्षण डिवीजन शुरू किया गया जिससे मतदाताओं को जागरूक किया जा सके। निर्वाचन आयोग ने व्यवस्थित मतदाता शिक्षा एवं निर्वाचकीय भागीदारी स्वीप (SVEEP) की स्थापना की है।

आयोग ने 2012 में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में व्यापक मतदाता जागरूकता अभियान चलाया। फलतः मतदान का प्रतिशत काफी बढ़ा था। घर-घर जाकर मतदाताओं को पंजीकृत किया गया है। पिछले चुनाव में महिलाओं को कुछ मतदान केन्द्रो का प्रबन्धन करने को दिया गया। "पिंक बूथ"

बनाये गये जिससे महिला मतदाता वोट डालने के लिये प्रेरित हों।

आयोग को आधुनिकतम तकनीक के प्रयोग की छूट दी जानी चाहिए । घर बैठे 'ई वोटिंग' के जरिये मतदाता वोट दे सके इस पर विचार हो सकता है।

आयोग ने जुलाई 2018 में ' eVIGIL ' नामक मोबाइल ऐप शुरू कर आचार संहिता के उल्लंघन की सूचना पर 100 दिन के भीतर कार्यवाही के लिए के लिए कहा है। सोशल मीडिया पर सूचनाओं को रोकना आयोग के लिए चुनौती हो गयी है प्रत्येक प्रचार संदेश या वीडियो की निगरानी मुश्किल है। आचार संहिता को ध्यान में रखकर आयोग ने एक निगरानी समिति का गठन किया है।

लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में एक साथ चुनाव कराने की सिफारिशे की जाती रही हैं, और 1967 तक ऐसा होता भी रहा है। उपचुनाव पर होने वाले खर्च को कम करने, अलग-2 आचार संहिता जारी होने से विकास कार्य में होने वाले व्यवधान को रोकने, स्थिरता आदि तर्क दिये गये है। लेकिन इसे लागू करने में कई विचारणीय तर्क भी हैं जैसे यदि सरकार अल्पमत में आ जाय तो क्या होगा ?

दल बदल के द्वारा राजनीतिक दल अपने निर्वाचकों को धोखा देतें रहे हैं सुधार के रूप में दल-बदल विरोधी कानून को 2003 में 91वें संविधान संशोधन से और कठोर किया गया। 1985 के कानून में पार्टी बटवारे के लिये नियत 1/3 सदस्यों के दल-बदल की जगह 2/3 सदस्यों की संख्या को ही अलग दल की मान्यता मिलेंगी। 2003 के कानून में व्यक्तिगत ही नही सामूहिक दल-बदल को भी असंवैधानिक किया गया है। पर अभी भी स्पीकर के फैसलों पर विवाद न्यायालय में पहुंच रहे हैं। आयोग का अपना मत है कि दसवीं अनूसूची के तहत आयोग की बाध्यकारी सलाह पर राष्ट्रपति/राज्यपाल निर्णय लें।

दल बदल कानून के सरलीकरण की जरूरत है जिससे इसका दुरूपयोग रोका जा सकें तथा दलों का नेताओं पर अतिशय शिकंजा भी न रहे। एस0वाई0 कुरैशी (पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त) कहते है 'दल बदलू विधायकों को 6 वर्ष के लिए अयोग्य ठहराना चाहिए जिससे वे दोबारा चुनाव न लड़ सकें।

आज यह जरूरी है कि दल अपनी संरचना पर भी ध्यान दे। उनमें मनोनयन की जगह पारदर्शिता और आन्तरिक लोकतंत्र स्थापित हो। दलों में संगठनात्मक चुनाव केवल निर्वाचन आयोग के निर्देश की औपचारिकता के लिए होते हैं ताकि इनकी मान्यता बनी रहे, लोकतंत्र पार्टी तंत्र में बदल गया है मतदाता जनप्रतिनिधि को नहीं पार्टी को मत दे रहा है। दलीय व्यवस्था की इन कमियों में सुधार तब होगा जब दल स्वयं राजनीतिक नैतिकता के विषय में सोचें।

चुनाव सुधारों हेतु कतिपय अन्य उपायों पर विचार किया जा सकता है

जैसे-

1. सत्ताधारी दल द्वारा चुनाव क्षेत्रो में अधिकारियों की नियुक्ति में पक्षपात न हो।
2. राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा ड्यूटी पर तैनात मतदान कर्मियों के साथ अभद्रता के प्रयोग पर रोक लगे।
3. पेडन्यूज की षिकायतें मतदाताओं को रिश्वत देने की शिकायतों पर नजर रखी जाय।
4. प्रत्याशियों को एक से ज्यादा क्षेत्रों से चुनाव न लड़ने दिया जाए।
5. गैर गम्भीर स्वतंत्र प्रत्याशियों की संख्या में कमी लाने हेतु सुरक्षा राशि (security money) बढ़ायी जा सकती है।
6. जेल से चुनाव लड़ने पर रोक हो, क्योकि यही अधिकार मतदाता को नहीं प्राप्त है यानि जेल में बन्द होने के दौरान वह वोट नहीं दे पाता है।
7. न्यायालय में मुकदमों को लम्बा न खींचा जाये त्वरित न्याय से फैसले निपटाये जायें।
8. चुनाव आयोग के द्वारा मतदाताओं के लिए भयमुक्त वातावरण में मतदान की व्यवस्था किया जाना सुनिश्चित हो।
9. चुनाव आयोग पास के अपना स्वतंत्र स्टॉफ नहीं है जिससे वह अपने निर्णयों का प्रवर्तन करा सके।
10. चुनाव आयोग को चुनाव प्रचार की बदलती शैली से निपटना होगा।
11. चुनाव आयोग अपूर्ण मतदाता सूचियां सही करे।
12. मतदाताओं की भी अतिरिक्त अर्हतायेंनिश्चित होनी चाहिए।
13. वन नेशन वन पोल व्यवस्था के विषय में विचार किया जाये।
14. सरकारी कर्मचारियों एवं सुरक्षा बलों के लिए पोस्टल बैलेट व्यवस्था को और बेहतर बनाया जाये।
15. चुनावी खर्च के मामले में चुनाव आयोग केवल सलाहकारी निकाय है। अन्तिम निर्णय सरकार लेती है, इस पर पुर्निवचार किया जाये।
16. दलों की वित्तीय मामलों की सी0ए0जी0 से ऑडिट हो।
17. जब तक सी0ए0जी0 और सी0वी0सी0 के अलावा लोकपाल जैसी संस्था की पहरेदारी नहीं करायी जाती आमूलचूल परिवर्तन नहीं होंगे।
18. केन्द्र, राज्यों में सत्तारूढ़ दल 50 प्रतिशत मतों का समर्थन नही प्राप्त कर पाता है फिर भी सत्ता में रहता है इस पर विचार करने की जरूरत है।
19. भविष्य में जनप्रतिनिधियों को हटाने या Recall के बारे में सोचा जाए।

आज जरूरत इस बात की है कि, राज्य सरकारों, सिविल सोसायटी संगठनों को, अच्छे लोगो को राजनीति में लाने की मुहिम चलानी चाहिए। पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स (PVDR),ADR OR NEW (National election watch) जैसी संस्थायें फीडबैक देतीं हैं जिस पर गम्भीरता से विचार कर सुधार किया जा सकता है। सबसे बडी जरूरत संवाद और सहमति की है जिससे चुनाव सुधार के लिए सही कदम उठाया जा सके वांछित परिवर्तन नागरिक समाज के द्वारा संभव होगा उसी प्रकार जिसका संकेत रजनीकोठारी गैर दलीय राजनीतिक प्रक्रिया एवं नागरिक समाज में सृजनकारी बलों के रूप किया है।21

निष्कर्ष

निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि सहभागी लोकतंत्र की आधार शिला लोकसक्रियता और लोक संकल्प है। चुनाव सुधार के दूसरे चरण में हमें पूरी तरह एकजुट होकर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को दुनिया का सबसे अच्छा लोकतंत्र बनाने के लिए संघर्ष करना चाहिए।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. *मित्रा, सुब्रत के एवं वी0वी0, डेमोक्रेसी एंड सोषल चेंज इन इण्डिया सेज पब्लिकेशंस दिल्ली 1999*
2. *एस0के0 मेनदी रत्ता " क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पालिटिक्स' योजना जनवरी 2009 पेज 32-35*
3. *अमर उजाला 12 सितम्बर 2018*
4. *वासुकी नाथ चौधरी युवराज कुमारः- भारत शासन और राजनीति ओरिएण्ट ब्लैक स्वान प्रा0लि0 नई दिल्ली 2011 संस्करण।*
5. *दृष्टिकोण मंथन नई दिल्ली 16 से 31 अक्टूबर अंक 2013*
6. *डॉ0पुस्कार मिश्र,दैनिक जागरण, 30 अप्रैल 2019*
7. *रामबहादुर राय, पत्रिका 'विवेक शक्ति' मार्च 2017*
8. *दैनिक जागरण 23 अप्रैल 2019*
9. *रामनाथ झा, दैनिक जागरण 10 सितम्बर 2017*
10. *इण्डिया टूडे, 21 नवम्बर 2018 पेज 33*
11. *दैनिक जागरण 8 अक्टूबर 2017*
12. *इण्डिया टूडे, 21 नवम्बर 2018 पेज 34*
13. *वही, पेज 40*
14. *डॉ0निरंजन कुमार दैनिक जागरण 10 अप्रैल 2017*
15. *योगेन्द्र यादवः भारतीय शासन, सवैधानिक लोकतंत्र और राजनीतिक प्रक्रिया तपन विस्वाल, ओरियण्ट ब्लैक स्वान 2017 पेज 259*
16. *योगेन्द्र यादव लेख, दैनिक जागरण, 2 मार्च 2014*
17. *रघु ठाकुर लेख पत्रिका 'विवेक शक्ति' मार्च 2017 अंक*
18. *योगेश कुमार गोयल, जनसत्ता 8 जनवरी 2019*
19. *विजय शंकरः नवभारत टाइम्स, 15 सितम्बर 2018*
20. *भारतीय लोकतंत्रः मुद्दे विकल्प और नीतियां, डॉ0 अजय सिंह, डॉ0वीरेन्द यादव पैसिफिक पब्लिकेशंस दिल्ली 2013*
21. *रजनी कोठारीः स्टेट एगेंस्ट डेमोक्रेसीः इन सर्च ऑफ ह्यूमन गवर्नेंस, अजन्ता प्रकाशन 1988 पेज 3-4*